

20

राज्य,
प्रति प्राथमिक शिक्षा परिषद,
एन एन मदनपुर।

संख्या:- प्राथि/परिषद सम्प्रदा/2022/11377

दिनांक: 25-12-2022

:-सर्वोच्च शास:-

राज्यिका संख्या (मिडि) 358/2022 एवं 347/2022 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित की गई दिनांक 21-10-2022 के अनुशासन में सर्वोच्च न्यायालय और शिक्षा, नई दिल्ली द्वारा भेदिक पत्र 2022-23 हेतु दिल्लीमा इन सर्वोच्च पाठ्यक्रम हेतु अनुशासन प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, एन एन मदनपुर में सम्प्रदा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25-12-2022 को परिषद सर्वोच्च में सम्प्रदा भविष्य की बैठक करवा हुई। बैठक में मन्दि द्वारा पत्र 2022-23 हेतु पी.सी.आई. द्वारा भेदिक शिक्षा इन सर्वोच्च पाठ्यक्रमों को प्रदान अनुशासन के अन्तर्गत में सम्प्रदा प्रदान किए जाने को निर्णय लिया गया।

सम्प्रदा मन्दि की बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, एन एन मदनपुर द्वारा पत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित स्तरों के अंतर्गत सम्प्रदा एवं उच्च शिक्षा उद्योग अमता हेतु सम्प्रदा प्रदान की जाती है:-

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | पी.सी.आई. द्वारा पत्र 2022-23 हेतु अनुशासन प्रदान संख्या | परिषद द्वारा पत्र 2022-23 हेतु अनुशासन प्रदान अमता |
|---------|----------------------|--|--|
| 1 | दिल्लीमा इन सर्वोच्च | 60 | 60 |

संख्या का पीठ एवं नाम:- 2194, कृष्णपाल सिंह इस्टीपुट आर मेडिकल साइंस, ग्राम व पोस्ट सम्बीर सीतापुर।

सम्प्रदा हेतु शर्तें-

- ✓ संख्या पी.सी.आई. द्वारा निर्धारित की गयी गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संख्या एन एन मदन प्राथमिक शिक्षा परिषद पत्र 2592 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 2592, विनियमवारी-2005, मेन्टल विनियमवारी-2016 तथा समय-समय पर निर्णय आदेशवारी का अनुपालन करेगी तथा मन्दि निर्धारित मन्दि द्वारा निर्धारित मन्दि की शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी तथा आदेशवारी के अंतर्गत द्वारा, छात्रवारी में मन्दि के सम्बन्ध में समय-समय पर आदेशवारी द्वारा निर्णय लिये जाने वाले आदेशवारी वारी होने और अनुशासन कार्रवाई किया जलन आदेशवारी होगा। बीच निर्धारित मन्दि द्वारा पत्र 2022-23 हेतु बीच का पूर्णतः पालन किया जलना है जो बीच की सर्वोच्च एवं पालन होगी।
- ✓ संख्या में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदन छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संख्या को समय-समय पर निर्णय आदेशवारी के अनुशासन निर्धारण एवं सम्प्रदा शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संख्या एन एन मदन प्रदान द्वारा बनाये गये शिक्षा/विद्यार्थी/अभियन्ता/आयशासनी/निदेशी एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, एन एन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, एन एन प्राथमिक शिक्षा परिषद, एन एन द्वारा बनाये गये विद्यार्थी, निदेशक, अर्थवारी, निदेशक का पालन करने के लिये उत्तरदायी है।
- ✓ उच्च सम्प्रदा का पी.सी.आई. के अनुशासन निर्णय किया जलना है जो इस संख्या में सम्प्रदा अनुशासन संख्या का होना और शिक्षा मन्दि में किसी भी शर्तवारी के लिए संख्या सर्वोच्च उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग एन एन प्रदान आदेशवारी के निर्णय एवं शर्तों का पालन किया जाना है तथा एन एन का पत्र 2022-23 में मा. न्यायालय द्वारा निर्णय वारी की प्रतिक्रिया वारी अंतर्गत निर्णय किया जलना है जो सम्प्रदा अनिर्णय मन्दि संख्या को करनी होगी।
- ✓ संख्याओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, एन एन मदन प्राथमिक द्वारा प्रवेश शर्तों के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदनित प्रवेश होने के पूर्व पी.सी.आई. के अनुशासन प्रदान एवं परिषद कार्यालय को उत्तरदायी करना होगा सम्प्रदा एवं प्रवेश की आवेदनित के पालन में प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत एवं/सिद्ध प्रवेश, अनुशासन प्रदान शर्तों की शर्तवारी।

(Signature)


- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यू०ग०इ०ज० पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, माज-सजा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ भेतिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था मुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह मुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिपद को इसकी जानकारी होनी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक म्बनीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य माज-सजा पी०सी०आई०/परिपद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


 (एफ०आर० खान)
 सचिव।

पु०सं०- प्राशिप/परिपद सम्बद्धता/2022/11128-11211

तहिनांक: 23-12-2022

प्रतिलिपि:- प्रधानाचार्य/निदेशक, कृष्णपाल सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ग्राम ब पोस्ट तम्बौर सीतापुर


 (एफ०आर० खान)
 सचिव।